भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2731

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

13 अग्रहायण, 1941 (शक)

नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी

2731. श्री जी. सेल्वम :
श्री धनुष एम. कुमार :
श्री सोयम बापू राव :
श्री मोहनभाई कुंडारिया :
श्री विजय कुमार दुबे :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोई नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी 'सीईआरटी-इन' की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके आरम्भ से लेकर अब तक, इसके द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियां की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए 'सीईआरटी-इन' की स्थापना की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'सीईआरटी-इन' की स्थापना के बाद से सूचित और सुलझाए गए साइबर अपराध के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या 'सीईआरटी-इन' साइबर सुरक्षा मुद्दों से निपटने में विदेशी साइबर सुरक्षा संस्थाओं की मदद लेता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा 'सीईआरटी-इन' को साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना देना अनिवार्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना न देने पर 'सीईआरटी-इन' द्वारा कॉरपोरेट जगत के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) वर्ष 2004 से कार्यान्वित है और इसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के अनुसार घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में सर्व करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(ख) : सर्ट-इन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख में दिए गए अपनी अधिदेश के अनुसार कार्यान्वित है।

भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को रिपोर्ट की गई और उसके द्वारा ट्रैक की गई सूचना के अनुसार फिशिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और जांच पड़ताल, वायरस/विद्वेषपूर्ण कोड और वेबसाइट हैकिंग सहित लगभग 8.5 लाख साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को वर्ष 2004 से 2019 (अक्टूबर तक) के दौरान हैंडल किया गया।

इसके अधिदेश को प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्ट-इन द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाता है :

(i) भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) कम्प्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नियमित आधार पर नवीनतम साइबर खतरों/सुभेदताओं और प्रति उपाय के संबंध में चेतावनी और परामर्शी निदेश जारी करता है।

(ii) सर्ट-इन ने सूचना सुरक्षा श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन में सहायता देने और लेखापरीक्षा करने के लिए 90 साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठनों को पैनलबद्ध किया है।

(iii) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके संगठनों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए सर्ट-इन के साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।

(iv) सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संगठनों की साइबर सुरक्षा की स्थिति और तैयारी का मूल्यांकन करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल और अभ्यासों का आयोजन किया जा रहा है। सर्ट-इन द्वारा अब तक ऐसे 44 अभ्यासों का आयोजन किया गया है जहां वित्त, रक्षा, विद्युत, दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा, अंतरिक्ष आईटी/आईटीईएस इत्यादि जैसे क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों से 265 संगठनों ने भाग लिया।

(v) सर्ट-इन ने आई.टी. अवसंरचना की सुरक्षा और साइबर अपराधों को कम करने के लिए संबंध में सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क/सिस्टम प्रशासकों और मुख्य सूचना अधिकारियों (सी.आई.एस.ओ.) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(vi) सर्ट-इन सरकार द्वारा शुरू की गई साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) को संचालित कर रहा है। यह केंद्र मैलीशियस प्रोग्रामों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए नि:शुल्क टूल उपलब्ध है।

(vii) सरकार ने विद्यमान और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक परिस्थितिजन्य जागरूकता पैदा करने और अलग-अलग इकाइयों द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए समय पर सूचना साझा करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र (एनसीसीसी) की स्थापना शुरू की है। एनसीसीसी के चरण-I को प्रचालनरत किया गया है। एनसीसीसी बहुपणधारकीय निकाय है और इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) : देश के बाहरी प्रणालियों में शामिल होने वाले घटनाओं के समाधान के लिए, सर्ट-इन ने बाहर के देशों के साथ अपने समकक्ष एजेंसियों के साथ समन्वय में प्रतिक्रिया उपायों को तैयार करते हैं।

(घ) और **(ड.)** : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख और इसमें अधिसूचित नियमों के अंतर्गत सर्ट-इन को प्राप्त अधिदेश के अनुसार सेवा प्रदाता, माध्यस्थ, डेटा केंद्र और निकाय कॉर्पोरेट साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की जानकारी उनके घटित होने अथवा घटना के नोटिस किए जाने पर उचित समय के भीतर सर्ट-इन को देंगे ताकि समय पर पर्याप्त कार्रवाई की जा सके। सर्ट-इन को होने वाले घटनाओं के बारे में रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में कार्पोरेट जगत को उपयुक्त नोटिस जारी किए जाते हैं।

******